



जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 635 दिनांक 31/5/07

आदेश


विषय:- कृषि कनेक्शन को बढ़े हुए भार वृद्धि को माप कर नियमित करके बिलिंग करने बाबत।

दिनांक 24.05.2007 को वरिष्ठ अधिकारियों का आयोजित बैठक में कृषि कनेक्शन को बढ़े हुए भार वृद्धि को माप कर नियमित करके बिलिंग करने के विषय में चर्चा की गई एवं सभी अधिकारियों ने उक्त योजना को पुनः चालु करने की अनुशंसा की। अतः माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा इरा संवन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न आदेश दिये जाते हैं कि:-

निगम के पवस (O&M) एवं सतर्कता शाखा के सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि, वे अपने क्षेत्र के सभी कृषि उपभोक्ता का लोड चेक करे एवं स्वीकृत भार पाये जाने पर:-

1. बिना वी०सी०आर० (VCR) या चेकिंग रिपोर्ट भरे उपभोक्ता को अनाधिकृत भार की लिखित में सूचना दी जाए एवं बिना कोई पेनल्टी राशि लिए, उसे नियमित किया जावे तथा निगम नियमानुसार धरोहर राशि (Security) ली जावे एवं तदनुसार बिलिंग शुरू की जाए।
2. जो उपभोक्ता एक कनेक्शन पर दो मोटरे एक ही खसरे में चलाते है वहा पर भी अनाधिकृत भार वृद्धि पाये जाने पर बिना कोई पेनल्टी राशि लिए कृषि नीति वर्ष 2004 (संशोधित 18.09.2004) बिन्दु संख्या 23 (iii) के अनुसार राशि लेकर भार वृद्धि नियमन किया जावे एवं तदनुसार बिलिंग शुरू कर दी जाए।

3. अगर उपभोक्ता स्वीकृत भार को समान रखते हुए दो भागों में विभाजित कर, उसी खसरे में दो कुएँ चलाते हुए पाया जाता है तो, उसे बिना कोई पेनल्टी राशि लिए उसे नियमित कर दिया जावे ।
4. जहा उपभोक्ता अथवा गैर उपभोक्ता मौके पर चोरी करते हुए पकड़े जाए, उस पर निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावे एवं पैरा 1, 2 एवं 3 की सुविधा नही दी जाए।
- उक्त आदेश दिनांक 01 जून-2007 से 31 अगस्त-2007 तक ही लागू रहेगा।


(ए. एम. लोढा)


मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- वित्तीय निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (एम.एम एण्ड टी डब्लू) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन/बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाडमेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़)
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविविनिलि.....

(आप के अधिनिरथ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)

- जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर


मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं आयोजना)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

मेधा वेद

Sub
amal